THE TIMES OF INDIA

Date: 23-11-26

Pay It Forward

India Inc's persistent stinginess on salary is limiting economic growth by crimping demand

TOI Editorials



India is world's fastest growing major economy, averaging 7%-plus growth, but it never feels enough. That's because when China was at the same development stage, in terms of per capita income, it grew at 11%-14% annually. What does it take to grow that fast? Voracious domestic demand, among other things, which isn't possible without strong wage growth year after year. And that was the concern behind Modi's critique at Ficci's annual meet last Thursday. As many economists have said over the past couple of years, and TOI showed graphically yesterday, India's salaried class hasn't been feeling better materially for quite some time. The problem is that average pay is not only growing slowly, but also not keeping pace with inflation.

Over seven years, from 2019 to 2026, retail prices in India have risen faster than wages. That means the average salaried worker has less disposable income now, and lower discretionary spending. At the same time, growth of the salaried class itself has slowed. Last fiscal was especially bad with only 2.8% increase in headcount. In short, overall demand is stagnating. And why is it so? Are Indian businesses struggling, are they unable to pay workers decent compensation? Far from it. They're in fact in an extraordinarily profitable phase – India Inc's profits grew 22% last year, and 11% the year before. They're also sitting on a mountain of liquidity, part of which could have been used to boost worker pay.

Govt has good grounds to be miffed. To boost growth, it has slashed corporate tax, relaxed income tax burden, and lowered GST on most products, but all of these measures will hit a wall without greater spending power in the hands of people. CEA Nageswaran had warned in 2024, when growth slowed to 5.4% in the July-Sept quarter, that stingy worker compensation was "self-destructive". Data at that time showed wage growth in engineering, manufacturing, process and infra had averaged just 0.8% during 2019-23.

Industry must look beyond immediate profits. We're a nation of 1.5bn, which is more than three EUs, but how big are we as a market? Instead of eyeing the same 5mn or 10mn or 100mn customers, India Inc should show ambition to get all 1.5bn on board. For that, profits and wages must form an expanding cycle. Squeezing workers and their wages is a self-limiting business strategy.

Date: 23-11-26

Cousin Concerns

There's an indisputable scientific case against close-kin marriages, and it's the only one

TOI Editorials

Indians have historically thought of marriage as a social institution governed by religion, caste, property, and personal choice. Genetics introduces another consideration. Every person carries some genetic mutations, which can cause disease if inherited in two copies. Usually, this isn't a problem, because two parents are unlikely to carry the same rare mutation. First cousins, though, share about 12.5% of their genetic material. If first cousins marry, they are more likely than unrelated couples to carry the same disease-causing gene variant. Their children have a higher risk of thalassaemia, certain metabolic disorders, congenital hearing loss, and other inherited conditions.

It's in this context that Supreme Court has asked govt to give its view, on the need for a law to prevent marriages between people closely related by blood. Court was moved by a PIL from a child of first cousins, who suffers from genetic disorders photophobia and cone dystrophy. Consider, however, that per NFHS, 11% of ever-married women in India are married to a blood relative. In Tamil Nadu, it's 28%. When the weight of tradition is so heavy, any law will find it hard to prevail. Just see how India's long battle against child marriage has brought down its prevalence…to around 20% for women, still. Sure, legislation against child marriage can be strengthened. But much change has come from non-legal factors, such as girls' improved access to education. And whether or not India gets a law against consanguineous marriages, the harder work lies in persuading communities that some customs are too harmful to hold on.

In China and several US states, prohibition against close blood relatives is well established. Because of the healthcare costs involved, the issue has become 'live' in more countries in recent years, including Sweden and UK. This effort can carry a whiff of immigrant-bashing. Good faith lawmakers should drop moralising altogether, and explain recessive inheritance in accessible language, without shame or sensationalism.

THE HINDU

Date: 23-11-26

Paper tiger

Climate action has to be timely, with adequate resources and monitoring

Editorial



That all was not well with the Green India Mission was clear even before its approval. After the UPA-I government announced it in 2008, the Ministry of Rural Development had objected to its financial design much before the Union Cabinet approved it in 2014. But the Environment Ministry proceeded anyway and retained largely the same arrangement when it revised the Mission in 2021. Following the Comptroller and Auditor General's report, on November 19, the Public Accounts Committee (PAC) upbraided the Ministry for the Mission's virtual failure and for still not having issued the implementation guidelines for the revised form. The original 10-year vision was to expand forest and tree cover by 5 million hectares (mha), improve forest quality on another 5 mha, improve forest-related livelihoods for 3 million households, and sequester up to 60 million tonnes of carbon dioxide a year. The outlay was ₹46,000 crore. In 2014, the Cabinet approved ₹13,000 crore for 1.4 mha each of the first two objectives by 2018, but to be supported to the tune of 81.5% by Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA), National Afforestation Programme (NAP), and MGNREGS funds. In 2021-22, the Ministry folded the NAP into the Mission and, in mid-2025, unveiled a revised version with an allocation of ₹12,190 crore to improve forest cover on 25 mha by 2030, including 24 mha through other schemes. The government had thus expanded the primary target but left the Mission responsible for only 1 mha.

Together with the CAMPA, NAP, and MGNREGS funds never materialising, it is no surprise that the programmes to improve forest quality and forest cover have respectively fallen short by 91.8% and 97.5% vis-à-vis the 2014 target. The Environment Ministry had assembled a large programme around resources that it knew it could not control. Pro-climate work in practice ought to span government schemes to deliver action and justice, and the Ministry ought to have formalised the division of responsibilities and accounting system. The PAC's new demand that the Ministry submit an implementation timetable is insufficient. From the Jal Shakti Abhiyan in 2019 to the Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan in 2024, the government has often floated new programmes banking significantly on funds from existing schemes — an untenable policy when the latter also have their own obligations. And if the VB-G RAM G scheme was to also advance climate justice, the government should not have undermined the erstwhile demand-driven funding model and shifted more financial responsibility to the States. Climate action has to be timely, for which the Union government must dedicate adequate resources and proactively ensure that its initiatives are implemented.

दैनिक जागरण

Date: 23-11-26

नियम अनुशासन

संपादकीय

शिक्षा का विस्तार तभी सार्थक है, जब पढ़ाई की गुणवत्ता और डिग्री की मान्यता सुनिश्चित हो । हरियाणा में निजी विश्वविद्यालयों के आनलाइन और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए मंजूरी की नई व्यवस्था इसी जरूरत से जुड़ी है। अब उच्चतर शिक्षा विभाग की अनापत्ति के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति और प्रत्येक नए पाठ्यक्रम के लिए प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति भी जरूरी होगी। उच्चतर शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं है। इसे मान्यता समझकर विज्ञापन देना या दाखिले शुरू करना नियमों का उल्लंघन होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह जानना जरूरी है कि जिस पाठ्यक्रम में वे प्रवेश ले रहे हैं, वह सभी निर्धारित शर्तें पूरी करता है या नहीं। दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम लर्नर सपोर्ट सेंटर के माध्यम से नहीं चलाए जा सकेंगे। इनके लिए विश्वविद्यालय का मुख्यालय या विधिवत स्वीकृत परिसर- बाह्य केंद्र ही मान्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर अनापत्ति प्रमाणपत्र वापस लेने का प्रविधान भी है। ऐसे नियम तभी प्रभावी होंगे, जब उनकी निगरानी नियमित हो और उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई में देरी न हो। शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल नए पाठ्यक्रम खोलना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को मान्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। गुणवत्तापूaर्ण शिक्षा के अभाव में तमाम शिक्षण संस्थानों का कोई मोल नहीं है। इससे देश में सिर्फ डिग्रीधारियों की संख्या ही बढ़ेगी, हुनरमंदों की नहीं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड

Date: 23-11-26

सफलताओं को स्त्री-पुरुष निरपेक्ष बनाने की लड़ाई

कनिका दत्ता

हर बार जब किसी पेशेवर महिला को पहली बार कोई अहम भूमिका सौंपी जाती है तो मीडिया की खबरों में जबरदस्त उत्साह नजर आता है। बिग फोर फर्म में साझेदार बनने वाली पहली भारतीय महिला, एक बैंक की पहली महिला प्रमुख, म्यूचुअल फंड कंपनी स्थापित करने वाली और उसकी मंजूरी पाने वाली पहली महिला, वित्तीय निगरानी संस्था या प्रतिस्पर्धा नियामक की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला...ऐसी तमाम खबरों को भारत की कार्यस्थल पर लैंगिक यानी स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के रूप में दर्ज किया जाता है। ऐसी तमाम महिलाओं के साक्षात्कार में यह प्रश्न अवश्य होता है, 'पुरुषों की दुनिया में यह मुकाम पाकर कैसा लग रहा है?' या फिर ऐसा ही कोई और सवाल।

इस पर सबसे मुखर नाराजगी निर्मला सीतारमण ने जाहिर की है। वह भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं और वर्तमान में सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाली मंत्री भी हैं। भारतीय राजनीति में वह अपने दम पर पहचान बनाने वाली महिला नेताओं में से एक हैं। वह किसी की पत्नी, बहन या मां के रूप में नहीं बल्कि अपनी

राजनीतिक हैसियत के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने बार-बार जोर दिया है कि बजट के दौरान उनकी साड़ी के चुनाव और पहनावे को लेकर मीडिया में होने वाली चर्चाएं उन्हें पसंद नहीं हैं। उनका कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां महिलाओं पर अनावश्यक दबाव डालती हैं।

हो सकता है सीतारमण कुछ बढ़ा-चढ़ाकर बोल रही हों क्योंकि यकीनन इस अखबार में उनकी नीतियों की जितनी गहन पड़ताल होती है उतनी उनके पहनावे की नहीं। लेकिन मोटे तौर पर उनकी बात सही है। पिछले तीन दशकों से अधिक समय में जब महिलाएं कॉरपोरेट जगत के कार्यकारी पदों और सार्वजनिक जीवन में अधिक प्रमुखता से अपनी जगह बनाने लगी हैं तब भी लिंग के आधार पर पहचान को अनावश्यक रूप से रेखांकित करने और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों व सवालों का चलन जारी है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का ताजा सर्वेक्षण बताता है कि भारतीय कंपनियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम है और वेतन के मामले में भी महिलाएं वे पुरुष समकक्षों से पीछे हैं।

भारत में प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी महज 12 फीसदी है। इस मामले में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 34 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 32वें स्थान पर है। केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे पीछे हैं। शीर्ष पदों पर आसीन महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है लेकिन भारत में अधिकांश महिला प्रबंधकों को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में 28 फीसदी कम वेतन मिलता है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में लैंगिक वेतन अंतर के मामले में भारत चौथे सबसे खराब स्थान पर है। केवल टोंगा, दक्षिण कोरिया (चौंकाने वाला नाम) और वानुआतु की स्थिति इससे खराब है। पिछले तीन दशकों में महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर अनुकूल माहौल बनाने और उनकी नियुक्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कई कानून और नियम बनाए। इनमें सवैतनिक मातृत्व लाभ, पितृत्व अवकाश, झूलाघर की अनिवार्य व्यवस्था, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए मजबूत कानून और कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं के लिए सीटें अनिवार्य करना शामिल हैं। इस मामले में भारत कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं से भी आगे है।

इन नीतियों से संस्थागत स्तर पर लैंगिक संतुलन में कोई सार्थक बदलाव नहीं आया है। इसकी वजह यह है कि या तो इनका क्रियान्वयन नहीं होता या इन्हें इतने सतही ढंग से लागू किया जाता है कि व्यवहार में इनका कोई लाभ नहीं मिलता अथवा ये सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं हैं। मातृत्व लाभ और अवकाश इसका उदाहरण हैं। ज्यादातर कंपनियां कानून के तहत निर्धारित 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की सुविधा देती हैं। कुछ अधिक कंपनियां 15 दिन तक का पितृत्व अवकाश भी देती हैं हालांकि निजी क्षेत्र में इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। आईएलओ के सर्वेक्षण के मुताबिक महिलाओं को नौकरी में बनाये रखने के लिए मातृत्व लाभ और सहायता संबंधी उपाय सबसे प्रभावी पहल माने गए हैं। इसके बावजूद भारत के बहुत से संगठन नई माताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे बच्चे के जन्म के बाद भी पहले की तरह काम करें। संगठन के नजरिये से यह अपेक्षा अनुचित नहीं है लेकिन इसमें इस वास्तविकता की अनदेखी होती है कि भारत में बच्चों की

देखभाल की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं और मांओं पर है। इसीलिए बच्चे होने के बाद कई महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं।

'महिलाओं के काम' को लेकर पारंपरिक पूर्वाग्रह भी उनके रोजगार के दायरे को सीमित करते हैं। मानव संसाधन, लेखा और प्रशासन जैसे पद महिलाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। मार्केटिंग में भी उन्हें जगह मिल सकती है लेकिन जहां महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने की बात आती है वहां अब भी पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है। यह तब है जब निदेशक मंडल में कम-से-कम एक महिला की नियुक्ति अनिवार्य है। यह बात स्पष्ट हो रही है कि जब तक पुरुष-प्रधान प्रबंधन अपने पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ते तब तक केवल कानून और नियम लैंगिक असमानता की खाई को नहीं पाट सकते। पुरुष नेतृत्व वाली कंपनी हवास ने महिलाओं की नियुक्ति और उन्हें नौकरी में बनाये रखने के लिए एक लक्षित रणनीति अपनाकर चार वर्षों में अपने कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 19 फीसदी से बढ़ाकर 43 फीसदी से अधिक कर दी। हालांकि कंपनी के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि इसके लिए लगातार और गंभीर प्रयास करने पड़ते हैं। बहुत कम कंपनियां इस मुद्दे पर प्रबंधन का पर्याप्त ध्यान और संसाधन खर्च करने को तैयार हैं, क्योंकि वे इसे कारोबार के मुनाफे से जुड़ा न होने वाला और पुरुष-प्रधान कार्यसंस्कृति के लिए असुविधाजनक विषय मानती हैं। ऐसे में महिलाओं की उपलब्धियों को लैंगिक भेदभाव से परे सामान्य उपलब्धि के रूप में देखने के बजाय अपवाद के तौर पर ही आंका जाता रहेगा।

Live हिन्दुस्तान .com

Date: 23-11-26

बालेन का दिल्ली दौरा

संपादकीय

पद संभालने के करीब आठ महीने बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह नई दिल्ली आए हैं। यह किसी देश का उनका पहला द्विपक्षीय राजकीय दौरा है। नेपाल की यह अघोषित कूटनीतिक परंपरा रही है कि वहां के प्रधानमंत्री अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा की शुरुआत भारत से करते हैं। बेशक, मार्च 2026 में 'जेन-जी' वोटरों द्वारा 'बालुवाटार' (नेपाल के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास) पहुंचाए जाने के बाद बालेन शाह ने नेपाल की कूटनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव के संकेत दिए थे और कई दफे नई दिल्ली के लिए अरुचिकर बयान भी दिए, पर भारत 'पड़ोस प्रथम' नीति से कभी पीछे नहीं हटा। अगस्त की बाढ़ में भी उसने राहत व बचाव-कार्यों में नेपाल की दिल खोलकर मदद की। संभवत: इन्हीं वजहों से बालेन अपने उस फैसले से पीछे हटते दिखे हैं, जिसके बारे में उनकी पार्टी की ओर से बताया गया था कि वह एक साल तक विदेश यात्राएं नहीं करेंगे। सितंबर में वह अमेरिका गए जरूर, लेकिन उस यात्रा का मकसद संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करना था।

बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर वह भारत आए हैं और राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद हैदराबाद हाउस में दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक-दूसरे से विचार साझा करेंगे। नेपाल पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दो अरब डॉलर का अनुदान और रियायती कर्ज हासिल करना चाहता है। वह भारतीय हवाई क्षेत्र से होकर गुजरने वाला एक अतिरिक्त हवाई मार्ग भी चाहता है। खबरों की मानें, तो नई दिल्ली ने उसके आर्थिक प्रस्तावों पर तो सकारात्मक रुख दिखाया है, मगर हवाई मार्ग के मुद्दे पर अभी सहमति की दरकार बताई है। इन दोनों मसलों के अलावा व्यापारिक सहयोग व निवेश को नई गति देने, बिजली एवं जलविद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और सड़क-रेल परिवहन के विस्तार जैसे अन्य मुद्दों पर भी दोनों नेताओं में बातचीत हो सकती है। हालांकि, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा से जुड़े सीमा विवाद, सन् 1950 की संधि की समीक्षा, भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर नेपाल की चिंताएं, व्यापार असंतुलन या पंचेश्वर परियोजना को लेकर पुराने मतभेद भी बने हुए हैं, पर इनको लेकर क्या नतीजा निकलता है, यह 'साझा दृष्टि पत्र' में ही स्पष्ट हो सकेगा, जिसे आज जारी किए जाने का अनुमान है।

बालेन की इस यात्रा को सिर्फ आर्थिक सहायता या कुछ समझौतों तक सीमित नहीं किया जा सकता। पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री शाह ने भारतीय नेतृत्व के प्रति जो दूरी दिखाई थी, यह उसे पाटने की गंभीर कोशिश भी है। भारत भी यही चाहता है। खासतौर से, हालिया महीनों में चीन के साथ नेपाल के जो नए आर्थिक व रणनीतिक समीकरण बने हैं या भारत को लेकर वहां से जो प्रतिकूल टिप्पणियां आई हैं, उनसे नई दिल्ली बेखबर नहीं है। हालांकि, यह भी सच है कि अपनी भौगोलिक स्थिति और आर्थिक जरूरतों के कारण नेपाल, भारत और चीन, दोनों के साथ संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में बालेन शाह ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं से निपटने और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए अपने दोनों पड़ोसी देशों के साथ एक साझा तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। जाहिर है, नेपाल के प्रधानमंत्री नई दिल्ली और बीजिंग, दोनों को समान धरातल पर रखना चाहते हैं, और यही भारत-नेपाल संबंधों की नई परीक्षा भी है, जिसमें शाह को खरा उतरना होगा।